दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>मो.दु.दा.अ. 801/2013</u>

राजेंद्र शाह और अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री पीयूष शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

संतोश कुमार एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री पंकज सेठ, प्रत्यर्थी-3 के लिए अधिवक्ता।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>आदेश</u>

09.05.2014

1. वर्तमान अपील मृतक भरत कुमार के विधिक प्रतिनिधि द्वारा 3 मई, 2013 के अधिनिर्णय के माध्यम से मुआवजे की राशि को रु. 4,70,170/- बढ़ाने के लिए दायर की गई है।

2. मृतक भरत कुमार अपनी मृत्यु के समय अविवाहित थे और उनके परिवार में उनके माता-पिता, भाई-बहन हैं। 18 नवम्बर, 2005 को लगभग

सुबह के 10.05 बजे मृतक भरत कुमार अपने मित्र श्री अजय कुमार (जो पीछे बैठा था) के साथ अपने मोटर वाहन संख्या डीएल 4एस एयू 7471 से रामा विहार स्थित निर्माण स्थल पर जा रहे थे। जब वह जैन नगर में पहुंचा तो एक ट्रक सं. एचआर 10 0582 गलत साइड से आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसे चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह दुर्घटना ट्रक सं. एचआर 10 0582 को उसके चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। विद्वान अधिकरण ने मृतक की आयु भी माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (प्र.अभि.सा ½) के आधार पर 23 वर्ष आंकी है। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि मृतक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था और 30,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था। विद्वान अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि मृतक मैट्रिक पास था और मैट्रिक पास मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आश्रितता की हानि का आकलन किया था । उन्होंने मृतक की मां की आयु के अनुसार गुणक लिया और चूंकि उन्होंने पाया कि केवल उसके माता-पिता ही मृतक पर आश्रित थे, इसलिए व्यक्तिगत व्यय के लिए उसके वेतन से ½ की कटौती की और आश्रितता की हानि का आकलन किया।

3. अपीलार्थी का तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने न्यूनतम मजदूरी को गलत तरीके से ध्यान में रखा है। विद्वान अधिकरण को मृतक की आय को

रुपये 30, 000/- प्रति माह के रूप में लेना चाहिए था। आगे यह तर्क दिया गया है कि वह एक संगमरमर का ठेकेदार था और उसके अधीन लगभग 30 मजदूर काम करते थे और दस्तावेज अभि.सा. 2/प्रत्यर्थी.1 जो मृतक द्वारा समय-समय पर बनाए रखा गया उपस्थिति रजिस्टर है और अभि.सा. 2 का मौखिक साक्ष्य जो कि अखंडित रह गया है, इस तथ्य को विधिवत साबित करता है। आगे यह भी तर्क दिया जाता है कि दुर्घटना के समय, वह अपने श्रमिकों का भुगतान करने के लिए अपनी जेब में रुपये. 10, 000/- ले जा रहा था। आगे यह तर्क दिया गया कि नाबालिग भाई-बहन भी मृतक के वेतन पर निर्भर थे और इस प्रकार, आश्रितों की कुल संख्या सात थी और विद्वान अधिकरण को व्यक्तिगत खर्चों के लिए मासिक आय का 2/3 हिस्सा काट लेना चाहिए था। यह भी प्रतिवाद किया गया है कि प्यार और स्नेह की हानि के लिए 5 लाख रुपये दिए जाने चाहिए थे और संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा भी कम है और संपत्ति के नुकसान के लिए 2 लाख रुपये का दावा किया गया है। यह भी प्रार्थना की गई है कि अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा भी बहुत कम है और 2 लाख रुपये अधिनिर्णित किये जाने चाहिए थे।

4. अपील का विरोध केवल बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान अधिकरण ने मुआवजे का सही आकलन किया है और उक्त निष्कर्ष में बाधा डालने का कोई आधार नहीं है।

5. मैंने पक्षों को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है और प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

6. दुर्घटना के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है और यह कि दुर्घटना उल्लंघनकारी वाहन के तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई है, जिसका प्रत्यर्थी सं.3/बीमा कंपनी बीमाकर्ता है। बीमा कंपनी ने भरण-पोषण का भुगतान करने के अपने दायित्व पर भी विवाद नहीं किया है। इस प्रकार विद्वान अधिकरण के निष्कर्ष ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

7. इस मामले में, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती उसके वेतन के आधे सूत्र का उपयोग करके की गई थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक के भाई-बहन आर्थिक रूप से उस पर निर्भर थे। इस प्रकार वह अपने माता-पिता के साथ रहता है क्योंकि वह भी अपनी मृत्यु के समय अविवाहित था। इस प्रकार विद्वान अधिकरण ने मृतक की आय का आधा हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए उचित रूप से काट लिया है।

8. विद्वान अधिकरण ने संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000/- रुपए की राशि भी उचित रूप से प्रदान की है। *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य, 2013 (6) स्केल 563* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 'प्यार और स्नेह की हानि' के अंतर्गत 1 लाख रुपए का मुआवजा उचित है और यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम संस्कार

के खर्च के लिए कम से कम 25,000/- रुपए की राशि अधिनिर्णित की जानी चाहिए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य, 2013 (6) स्केल 563* मामले में संघ, प्रेम और स्नेह की हानि और अंतिम संस्कार लागत के लिए मुआवजे के अनुदान से निपटान और निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "20. इसलिए हम पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा देने की प्रथा पर पुनर्विचार विचार कर सकते हैंः जैसे, जीवनसाथी के लिए साहचर्य की हानि, बच्चों के लिए प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन की हानि और अंतिम संस्कार का व्यय। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रु. 2,500/- से रु. 10, 000/- उन शीर्षों में कई दशक पहले तय किया गया था और मुद्रास्फीति कारक को ध्यान में रखते हुए, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरला वर्मा के मामले (पूर्वोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साहचर्य के हानि के लिए मुआवजा रुपये की सीमा 5, 000/- से रु। 10, 000/-में होना चाहिए। कानूनी भाषा में, 'साहचर्य' पति या पत्नी का अपने साथी के साथ संगति, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और यौन संबंध का अधिकार है। क्षतिपूर्ति के उस गैर-आर्थिक शीर्ष को हमारे न्यायालयों द्वारा उचित रूप से नहीं समझा गया है। साथी, प्यार, देखभाल और सुरक्षा आदि की हानि, जिसे पत्नी पाने की हकदार है, के लिए उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। साहचर्य की हानि के लिए गैर-आर्थिक क्षति की अवधारणा विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर संयुक्त राज्य

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में, मुआवजा अधिनिर्णय के प्रमुख तरीकों में से एक है। अंग्रेजी न्यायालयों ने अस्थायी अक्षमता की अवधि के दौरान भी जीवनसाथी के मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार को भी मान्यता दी है। साहचर्य के हानि से, न्यायालयों ने भविष्य के वर्षों के दौरान जीवनसाथी के स्नेह, आराम, सांत्वना, साहचर्य, समाज, सहायता, सुरक्षा, देखभाल और यौन संबंधों के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया है। अन्य देशों और अन्य अधिकारिताओं में दिए गए मुआवजे के विपरीत, चूंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को अन्यथा आर्थिक नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के तहत एक बड़ी राशि देना उचित नहीं होगा। इसलिए, हमारा विचार है कि यह केवल न्यायसंगत और तर्कसंगत होगा कि न्यायालय साहचर्य की हानि के लिए कम से कम एक लाख रूपए का अधिनिर्णय दें।

21. हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी ले सकते हैं कि अधिकरण ने 'अंतिम संस्कार व्यय' के अंतर्गत मुआवजा देने में काफी मितव्ययिता बरती है, जिसका अर्थ श्मशान में भुगतान की गई फीस या कब्रिस्तान में जगह के उपयोग के लिए भुगतान की गई फीस नहीं है। अंतिम संस्कार के संबंध में कई अन्य खर्च होते हैं और यदि मृतक किसी विशेष धर्म का अनुयायी है, तो परिवार में मृत्यु उपरांत कई धार्मिक प्रथाएं और परंपराएं होती हैं। ये सभी काफी महंगे होते हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि उच्च व्यय के लिए विपरीत साक्ष्य के अभाव में, 'अंतिम संस्कार व्यय' के अंतर्गत कम से कम 25,000/- रुपये की राशि देना उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा।"

संपत्ति के हानि पर 5 लाख रुपये के दावे के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और विद्वान अधिकरण ने संपत्ति के हानि के लिए 10,000 रुपये की राशि का आदेश दिया है।

10. यह तर्क दिया जाता है कि मृतक की मासिक आय का आकलन उचित रूप से नहीं किया गया है। वह एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था और साक्ष्यों ने नियत समय में मृतक द्वारा बनाए गए उपस्थिति रजिस्टर को प्र. अभि.सा.2 के रूप में अभिलेख पर साबित कर दिया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि उसके अधीन 30 मजदूर काम कर रहे थे। वह संगमरमर के ठेकेदार थे। अभि.सा. 2 की मौखिक गवाही से यह साबित होता है कि मृतक एक संगमरमर ठेकेदार था और उसकी आय 30,000/- से 40,000/- रुपये प्रति माह आंकी जानी चाहिए थी और यह कि 23 साल का युवा लड़का होने के बावजूद भविष्य की संभावना से इनकार करना, *सरला वर्मा बनाम डीटीसी 2009 अति.सि.न्या. 129 क और राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य, 2013 (6) स्केल 563* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के खिलाफ है। भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% की वृद्धि की जानी चाहिए थी।

11. प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि विद्वान अधिकरण ने न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की आय का सही आकलन किया है, क्योंकि मृतक की आय दर्शाने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं था।

12. मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेखों का भी अध्ययन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने अभिलेख पर दस्तावेज अभि.सा. 2/प्रत्यर्थी 1 पेश किए हैं, जिसमें मृतक द्वारा कथित रूप से जारी उपस्थिति कार्ड शामिल है, जिसमें उसे संगमरमर ठेकेदार के रूप में दिखाया गया है और उसने कुछ परिचर पत्र भी पेश की हैं, लेकिन ये पत्र ढीले पत्र हैं और किसी उपस्थिति रजिस्टर का हिस्सा नहीं लगती हैं। ये दस्तावेज मृतक की आय को नहीं दर्शाते हैं। यदि इस मामले में गवाहों की गवाही पर विश्वास किया जाए तो मृतक वर्ष 2005 में 30,000 से 40,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा था, इस प्रकार वह प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रुपये कमा रहा था और आयकर अधिनियम के तहत वह आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी था। अपीलार्थी द्वारा किसी भी वर्ष के आयकर रिटर्न की कोई प्रति अभिलेख पर नहीं रखी गई है। अपने बयान में, अभि.सा. 1 यानी अपीलार्थी सं. 1, राजेंद्र साहा ने यह गवाही दी है कि मृतक उसे गांव में हर महीने 25,000/- से 30,000/- रुपये भेजता था, हालांकि, मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से पैसे के हस्तांतरण के रूप में कोई दस्तावेजी सबूत अभिलेख पर नहीं रखा गया है। इन परिस्थितियों में, विद्वान अधिकरण ने मैट्रिक पास की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की वार्षिक आय का आकलन करने का सही तरीका अपनाया है। यह विवादित नहीं है कि मृतक मैट्रिक पास था।

13. अपीलार्थी ने *सरला वर्मा मामले (पूर्वोक्त)* में निष्कर्षों को देखते हुए भविष्य की संभावना का भी दावा किया है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक संगमरमर का ठेकेदार था। उनकी आय का आकलन न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया गया है। इस प्रकार उन्हें एक स्व-नियोजित व्यक्ति के बजाय एक वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में लिया जाता है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने *सरला वर्मा (पूर्वोक्त)* के मामले में भविष्य की संभावनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से रखा है। इसने भविष्य की संभावनाओं के लिए हकदार व्यक्तियों की श्रेणियों को वर्गीकृत किया है। प्रासंगिक अनुच्छेदों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "10. आम तौर पर मृतक की कम आयकर वाली वास्तविक आय मुआवजे की गणना के लिए प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के समय वास्तविक आय को आय के रूप में लिया जाना चाहिए या भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई वृद्धि की जानी चाहिए। सुसम्मा थॉमस मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जीवन और जीविका में उन्नति की भावी संभावनाओं को गुणक (आश्रितों के लिए वार्षिक योगदान) बढ़ाने के लिए धन के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए; और जहां मृतक के पास एक <u>स्थिर नौकरी</u> थी, वहां न्यायालय भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दे सकता है और मृत्यु के समय मृतक की वास्तविक आय पर निर्भरता की हानि का अनुमान लगाना अनुचित होगा। उस मामले में,

मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 39 वर्ष थी और उसका वेतन 1032/- रुपये प्रति माह था। भविष्य की संभावनाओं के संबंध में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार था कि व्यक्तिगत जीवन-यापन व्यय को घटाने से पहले सकल आय के रूप में मासिक आय का उच्च अनुमान 2000/- रुपये लगाया जा सकता है। सुसम्मा थॉमस के मामले में लिए गए फैसले का पालन सरला दीक्षित बनाम बलवंत यादव [1996 (3) एससीसी 179] में किया गया, जहां मृतक को प्रति माह 1543 रुपये का सकल वेतन मिल रहा था। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि जब तक वह सेवानिवृत्त होते , तब तक उसकी कमाई लगभग दोगुनी हो गई होती, यानी 3000 रुपये होती । इस न्यायालय ने मृत्यु के समय की वास्तविक आय और सामान्य जीवन जीने की स्थिति में अनुमानित आय का औसत लिया तथा मासिक आय रु.2200/- प्रति माह निर्धारित की। अबाती बेजबरुआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण [2003 (3) एससीसी 148] में, दुर्घटना के समय रु. 42,000/- रुपये प्रति वर्ष (3500/- रुपये प्रति माह) की वास्तविक वेतन आय के मुकाबले, इस न्यायालय ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं और जीविका की उन्नति को ध्यान में रखते हुए, जो 40 वर्ष का था, आय को 45,000/- रुपये प्रति वर्ष माना।

11. सुसम्मा थॉमस के मामले में, इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित के मामले में, आय में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अबती बेजबरूआ के मामले में आय में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि कि गयी थी । अभेद्य और अनिश्चितताओं को देखते हुए,

> हम एक सामान्य नियम के रूप में, मृतक की वास्तविक वेतन आय में 50% की वृद्धि को भविष्य की संभावनाओं के लिए अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। [जहां वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहां 'वास्तविक वेतन' शब्दों को 'वास्तविक वेतन घटा कर' पढ़ा जाना चाहिए]। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष हो तो, तो यह वृद्धि केवल 30 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, तो कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यद्यपि साक्ष्य वृद्धि के अलग-अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना के अलग-अलग तरीकों को अपनाने से बचने के लिए वृद्धि को मानकीकृत करना आवश्यक है। जहां मृतक स्व-रोजगार करता था या निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), वहां न्यायालय आमतौर पर केवल मृत्यु के समय की वास्तविक आय को ही ध्यान में रखेगा। केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और अपवादात्मक मामलों में ही कटौती की जानी चाहिए। प्रश्न (ii) के संबंध में - व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए कटौती

15. *सरला वर्मा मामले (पूर्वोक्त)* में निर्देशों से, यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की केवल दो श्रेणियां भविष्य की संभावनाओं कि हकदार नहीं हैं, पहला, जहां मृतक स्व-रोजगार में था और दूसरा, जहां मृतक एक निश्चित वेतन (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की संभावना के बिना) पर काम कर रहा था।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने *सुषमा थॉमस* मामले का संदर्भ दिया है जिसमें भविष्य की संभावनाओं को एक मृतक को दिया गया था जिसके पास 'स्थिर

नौकरी' थी। अन्य संदर्भित मामलों में भी, मृतक वेतनभोगी व्यक्ति था। सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका उद्देश्य केवल दो श्रेणियों को बाहर करना था, अर्थात जहां मृतक स्व-नियोजित था या जहां वह एक निश्चित वेतन पर काम कर रहा था, जिसमें वार्षिक वृद्धि आदि का कोई प्रावधान नहीं था। आवश्यक विविक्षा से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इरादा उन वेतनभोगी व्यक्तियों को बाहर करने का नहीं है जो एक निश्चित वेतन पर कार्यरत नहीं हैं। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को शामिल करना था जो रोजगार में हैं लेकिन एक निश्चित वेतन पर नहीं हैं।

17. वर्तमान मामले में, दावेदार यह साबित करने में विफल रहा हैं कि मृतक ठेकेदार के रूप में काम करने वाला एक स्व-नियोजित व्यक्ति था। बल्कि न्यायालय ने उसे मैट्रिक पास और दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करने वाला माना है। सरकार प्रतिवर्ष दो बार अर्थात् 1 फरवरी और 1 अगस्त को न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करती है। इस प्रकार मृतक *सरला वर्मा मामला (पूर्वोक्त)* छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आता है। *सरला वर्मा मामले (पूर्वोक्त)* के अनुसार, क्योंकि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, वह भविष्य की संभावना के लिए अपने वेतन का 50 % प्रतिशत पाने का हकदार था।

18. प्रयुक्त गुणक पर कोई विवाद नहीं है। प्रयुक्त गुणक 15 है।

मृतक की आय = रु. 3613 प्रति माह (न्यूनतम मजदूरी)

भविष्य की संभावना = रु. 3613 + 3613 X 50 प्रतिशत = रु. 5419.5 /-

व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती = 5419.5-5419x1/2 = रु. 2710/-

निर्भरता की हानि = 2710 x 12 x 15 = रु. 4,87,800/-

19. मुआवजे का अधिनिर्णय इस प्रकार किया गया हैः

1.	निर्भरता कि हानि	रु. 4,87,800 -
2.	अंत्येष्टि शुल्क	रु. 25, 000/-
3.	संपत्ति का हानि	रु. 10, 000/-
4.	प्यार, संगति और स्नेह की कमी	रु. 1,00,000
5.	आनुग्रहिक सेवाओं कि हानि	रु. 25, 000/-
	कुल	**रु. 6,47,800 -**

20. मैं याचिका दायर करने की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 6,47,800/- रुपए का भुगतान करने का आदेश देता हूँ। यह राशि आठ सप्ताह के भीतर चुकाई जानी चाहिए, जिसके न चुकाने पर अपीलार्थी को चूक की तिथि से लेकर वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। मृतक के माता-पिता के बीच यह राशि 3 मई, 2013 के विद्वान अधिकरण के आदेश के अनुसार वितरित की जानी चाहिए।

21. अपील का निपटन उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्या. दीपा शर्मा,

09, मई 2014

सपना

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*